न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दीगोद जिला कोटा (राज0)

मि0नं0	तारीख दायरा	तारीख फैसला
05 / 2021	21.01.2021	22.11.22

पीठासीन अधिकारी–हरबिन्दर डी0 सिंह (आर.ए.एस.)

उनवान

1– रामकल्याण माता रूपाबाई पिता कान्हा जी
2– घनश्याम माता रूपाबाई पिता कान्हा जी मृतक जरिये कायम मुकामान
2/1 देवलाल पुत्र स्व0 घनश्याम
2/2 गुजरात सिंह पुत्र स्व0 घनश्याम
2/3 सोनू पुत्र स्व0 घनश्याम
2/4 पिंकी पुत्री स्व0 घनश्याम
2/5 रिंकी पुत्री स्व0 घनश्याम
3– बलवीर माता रूपाबाई पिता कान्हा जी
4– शोभाराम माता रूपाबाई पिता कान्हा जी
5– गणेश माता रूपाबाई पिता कान्हा जी
6– त्रिलोकचन्द माता रूपाबाई पिता कान्हा जी
7– हंसराज माता रूपाबाई पिता कान्हा जी
जाति कीर निवासीगण नीमोदा हरिजी तहसील दीगोद जिला कोटा राज0

(वादीगण)

बनाम

1– रामेश्वर दत्तक पुत्र रामनारायण जाति ब्राहम्ण निवासी नीमोदा हरिजी तहसील दीगोद जिला कोटा मृतक जरिये कायम मुकामान
1/1–भेरूलाल उर्फ लक्ष्मीप्रकाश आत्मज श्री रामेश्वर
1/2–बंटी उर्फ निरंजन आत्मज श्री रामेश्वर
1/3–श्यामा बाई पुत्री रामेश्वर
1/4–भगवती बाई पुत्री रामेश्वर
1/5–कैलाश पत्नी रामेश्वर
जाति ब्राहम्ण निवासीगण नीमोद हरि जी तहसील दीगोद जिला कोटा राज0
2– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील दीगोद जिला कोटा

(प्रतिवादीगण)

वादीगण की ओर से – श्री हरिशंकर मेघवाल एडवोकेट
प्रतिवादी की ओर से– श्री जितेन्द्र गोचर एडवोकेट

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89,188 आर.टी.एक्ट बाबत घोषणा एवं दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय

वादीगण ने उपरोक्त शीर्षक का वाद पत्र निम्न रूपेण पेश किया है :–

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि ग्राम नीमोदा तहसील दीगोद में अन्य भूमियां खसरा नम्बर 1128/2048, 1180, 1693, 1695, 1720, 2215 के साथ खसरा नम्बर 117 की 1.82 हेक्टर भूमि स्थित चली आ रही है। उपरोक्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी नं0 1/1 ता 1/4 के पिता प्रतिवादी नं0 1 रामेश्वर दत्तक पुत्र रामनारायण के खाते में दर्ज चली आ रही है।

यह कि प्रतिवादी नं0 1/1 ता 1/4 के पिता प्रतिवादी नं0 1 रामेश्वर ने उक्त खसरा नम्बर 117 की 1.82 हेक्टर भूमि को वादीगण की माता रूपाबाई पत्नी कान्हा जी जाति कीर निवासी नीमोदा तहसील दीगोद को जरिये रजि0 विक्रय पत्र दिनांक 28.06.2010 को बेचान कर दी तथा प्रतिफल की राशि प्राप्त कर उक्त भूमि पर वादीगण की माता रूपाबाई पत्नी कान्हा जी को खुरीद शुदा भूमि पर कब्जा दे दिया। तब से ही माता रूपाबाई का कब्जा काश्त बहैसियत खातेदार व खरीदार के चला आ रहा था।

यह कि प्रतिवादी नं0 1 ने रजिस्ट्री कराते समय आश्वासन दिया कि वह अपने खाते की भूमि का ऋण अदा कर भूमि रहन मुक्त कर देगा किन्तु प्रतिवादी नं0 1 द्वारा रहन का नोट नही हटवाया जिस कारण उक्त विक्रय पत्र के आधार पर इंतकाल नहीं खुल सका। इस मध्य वादीगण की माता रूपाबाई पत्नी कान्हा का देहावसान हो गया ओर उनकी मृत्यु पश्चात वादीगण का उक्त भूमि पर कब्जा काश्त निरन्तर चला आ रहा है ओर वर्तमान में आज भी वादीगण काबिज काश्त है।

यह कि प्रतिवादी नं0 1 द्वारा उपरोक्त भूमि को बेचान करने के बाद उक्त भूमि पर प्रतिवादी नं0 1 का किसी प्रकार का कोई हक व हकूक व अधिकार शेष नही रहे है। खातेदार प्रतिवादी नं0 1 का भी देहावसान हो गया इस कारण भी उक्त विक्रय पत्र के आधार पर इंतकाल नहीं खुल सका किन्तु उक्त बेची गयी भूमि अभी भी प्रतिवादी नं0 1 के नाम दर्ज चली आ रही है।

यह कि उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी नं0 1 के नाम अंकित होने के कारण उसके वारिसान के मन में बदनियती आ गयी ओर प्रतिवादी नं0 1/1 ता 1/4 वादीगण के पास दिनांक 01.12.2020 को आये ओर वादीगण को उक्त भूमि बैदखल करने व भूमि बेचान करने की धमकी दी जब कि उक्त भूमि पर बेचान के बाद प्रतिवादी नं0 1 का अथवा उनकी मृत्यु बाद प्रतिवादी नं0 1/1 ता 1/4 का किसी प्रकार का कोई हक व हकूक, कब्जा व अधिकार शेष नहीं रहा है।

यह कि उपरोक्त कारण से प्रतिवादी नं0 1 द्वारा वादीगण की माता रूपाबाई को बेची गयी भूमि का खातेदार घोषित किया जाना व रूपाबाई की मृत्यु होने पर वादीगण को खातेदार घोषित किया जाकर अलग अलग खाते दर्ज किया जाना आवश्यक हो गया है। किन्तु प्रतिवादी नं0 1/1 ता 1/4 वादीगण के कब्जे काश्त में व्यवधान पैदा करने व वादीगण को उक्त भूमि से बैदखल करने पर आमादा है। जिसका कि प्रतिवादी नं0 1/1 ता 1/4 को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। यदि प्रतिवादी नं01/1 ता 1/4 को उक्त अवैधानिक कृत्य करने से नहीं रोका गया तो वादीगण को अपार क्षति होगी जिसकी पूति नहीं हो सकेगी।

यह कि वाद कारण दिनांक 01.12.2020 को प्रतिवादी नं0 1/1 ता 1/4 द्वारा उक्त भूमि से वादीगण को बेदखल करने व भूमि को रहन बेचान करने की धमकी देने के

ण पैदा हुआ। प्रतिवादी नं0 1/1 ता 1/4 प्रतिवादी नं0 1 के वारिस होने से पक्षकार बनाया गया है।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वादीगण के पक्ष में निम्न आशय की आज्ञा व डिक्री पारित की जावेः—

कि ग्राम नीमोदा तहसील दीगोद के खसरा नम्बर 117 की 1.82 हेक्टर भूमि का खातेदार प्रतिवादी नं0 1 के विक्रय पत्र के आधार पर रूपाबाई पत्नी कान्हा को खातेदार घोषित किया जाकर रूपाबाई पत्नी कान्हा की मृत्यु होने पर उनके विधिक वारिसान वादीगण को खातेदार घोषित किया जावे तथा उक्त भूमि प्रतिवादी नं0 1 रामेश्वर के खाते से हटाई जावे। अतः वादीगण को खातेदार घोषित किये जाने की आज्ञा व डिक्री पारित की जावे।

वादीगण की ओर से निम्न दस्तावेज संलग्न किये गयेः—

1— नकल जमाबन्दी ग्राम नीमोदा सम्वत 2071—2074
2— छाया प्रति विक्रय पत्र दिनांक 28.06.2010 कार्या0 उप पंजीयक दीगोद
3— छाया प्रति मृत्यु प्रमाण पत्र घनश्याम
4— नकल छाया प्रति नोड्यूज प्रमाण पत्र बीआरकेजीबी नीमोदा हरिजी
5— नकल जमाबन्दी वर्तमान ग्राम नीमोदा सम्वत 2075— 2078

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी विधिवत करवायी गई। प्रतिवादीगण की ओर से इकबाली जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी क्रम 1/1 ता 1/4 ने जवाब प्रस्तुत कर वाद पत्र की समस्त चरणों को स्वीकार किया गया है। प्रतिवादीगण ने अपने जवाब में स्वीकार किया है कि उक्त वाद में कृषि आराजी खसरा नम्बर 117 की रकबा 1.82 हेक्टर भरूमि वाके ग्राम नीमोदा को हमारे पिताजी रामेश्वर जी द्वद्वारा वादीगण कि माता रूपाबाई को बेचान जरिये विक्रय पत्र दिनांक 28.06.2010 को कर दी गई है। हमारे पिता जी कि मृत्यु हो चुकी है हम प्रतिवादीगण मृतक रामेश्वर जी के विधिक वारिसान है हम प्रतिवादीगण सहमति देते है कि वाद पत्र में अंकित भूमि मद नं0 1 में वर्णित खसरा नम्बर 117 रकबा 1.82 हेक्टर भूमि का वादीगण को खातेदार घोषित किये जाने पर सहमति देते है उक्त भूमि वादीगण कि खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड कर दी जावे

अतः सहमति पत्र पेश कर वादीगण का वाद डिक्री कर वादीगण को खातेदार घोषित किये जाने का आदेश एवं डिक्री पारित की जावे।

यह कि उक्त वाद में उभय पक्ष की ओर से सहमति से राजीनामा प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत राजीनामा में प्रतिवादीगण के पिता रामेश्वर जी के खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 117 की रकबा 1.82 हेक्टर भूमि वाके नीमोदा को वादीगण कि माता रूपाबाई के नाम बेचान कर रजिस्ट्री दिनांक 28.06.2010 को करवादी गई थी। रामेश्वर जी कि मृत्यु हो चुकी है उक्त भूमि खसरा नम्बर 117 की रकबा 1.82 हे0 भूमि पर वादीगण का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है। रामेश्वर जी के प्रतिवादीगण विधिक वारिसान हे। हम प्रतिवादीगण उक्त भूमि खसरा नम्बर 117 की रकबा 1.82 हे0 भूमि को अपने खाते दर्ज करने व वाद को डिक्री करने का राजीनामा सहमति पूर्वक देते है। वादीगण को खसरा नम्बर 117 रकबा 1.82 हे0 ग्राम नीमोदा का खातेदार घोषित कर दिया जावे।

प्रस्तुत राजीनामा में वादीगण की पहिचान वादी अधिवक्ता द्वारा की गई एवं प्रतिवादीगण की पहिचान प्रतिवादी अधिवक्ता के द्वारा की गई है।

प्रकरण में वादी अधिवक्ता एवं प्रतिवादी अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। वादीगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों एवं प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत इकबाली जवाब दावा एवं उभय पक्षकारान में सहमति से प्रस्तुत राजीनामा अवलोकन किया गया।

अतः ग्रम नीमोदा तहसील दीगोद के खसरा नम्बर 117 की 1.82 हेक्टर का खातेदार प्रतिवादी नं0 1 के विक्रय पत्र के आधार पर रूपाबाई पत्नी कान्हा को खातेदार घोषित किया जाकर तथा रूपाबाई पत्नी कान्हा की मृत्यु होने पर उसके वारिसान वादीगण को खातेदार घोषित किया जाना एवं प्रतिवादी नं0 1 रामेश्वर का नाम खाते से हटाचा जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद पत्र इकबाली जवाब एवं उभय पक्षकारान में सहमति से प्रस्तुत राजीनामा अनुसार स्वीकार किया जाकर ग्राम नीमोदा तहसील दीगोद जिला कोटा की कृषि आराजी खसरा नम्बर 117 की रकबा 1.82 हेक्टर में वादीगण को उक्त आराजी का खातेदार घोषित किया जाता हे। तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। तद्नुसार डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 22.11.22 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
दीगोद